न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

1– अपील संख्या 117/2010 (2010/00153) 75 एल.आर.एक्ट

बलदेव सिंह वल्द करतार सिंह वल्द शंकर सिंह जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील टीबी जिला हनुमानगढ। ––अपीलांट

बनाम

1. नाम उलहक पिसरान दलमीर मोहम्मद
2. अब्दुल हक
3. करमा बीबी बेवा दलमीर मोहम्मद — अकवाम मुसलमान निवासी गुडिया तहसील टिब्बी।
4. नजमा बीबी
5. जैतुन — पुत्रीया दलमीर मोहम्मद
6. जुबैदा
7. बिशनसिंह — पि0 करतार सिह
8. पुर्णसिंह
9. कशमीर सिंह
10. बलबीर सिंह
11. सरजीत सिंह फौत — जाति रायसिख निवासी गुडिया तहसील टिब्बी।
    - 11/1 राजेन्द्र सिंह पुत्र
    - 11/2 पवनदीप सिंह पुत्र
    - 11/3 अमरो देवी पुत्री
    - 11/4 कमलजीत कौर पुत्री
12. प्यारा सिंह
13. मुखत्तार सिंह
14. सुरजीतो पुत्री सुरजन सिंह
15. लछमण सिंह
16. महेन्द्र सिंह
17. जोगेन्द्र सिंह — वल्द अरजन सिंह
18. चन्दा सिंह
19. कृष्णा बाई पुत्री अरजन सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2– 124/2010 75 एल.आर.एक्ट

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ। ––अपीलांट

बनाम

1. नाम उल्लहक — पि0 दलमीर मोहम्मद
2. अब्दूलहक
3. करमाबी बेवा दलमीर मोहम्मद — जाति मुसलमान सा0 गुडिया।
4. नजमाबी
5. जैतुन — पुत्रियां दलमीर मोहम्मद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. जुबैदा ---रेस्पोंडेन्ट्स

विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण
संख्या 59/2009 बअनवानी प्रा.पत्र नामउलहक आदि आदेश दिनांक 27.07.2010

श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 117/2010
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता
श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 6 अपील सं. 117/2010 व 124/2010
श्री मनोज शर्मा अभिभाषक रेस्पों सं. 9, 10, 12 ता 13, 18 से 19, 14
श्री रघुवीर वर्मा अभिभाषक रेस्पों. सं. 8 , 11/1 से 11/4

निर्णय दिनांकः—08.08.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण जैतुन, कर्मा, नामउलहक, अब्दुलहक, जुबेदा, नजमा ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आवेदन में चक 2 एमकेएसए के प.नं. 214/225(मु.नं.56) कि.नं. 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22/1.771 नहरी रकबे का विवरण अंकित किया।
2. उपखण्ड अधिकारी टिब्बी ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2010 से नामउलहक, अब्दुलहक पि0 दलमीर मोहम्मद, करमाबी बेवा दलमीर मोहम्मद, नजमाबी, जैतुन, जुबेदा पुत्रिया दलमीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुडिया के नाम चक 2 एमकेएसए के प.नं214/225 के कि.नं. 9, 11, 12 , 19 ता 22 की 1.771 रकबा की खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये।
3. उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट अपील सं. 117/2010 ने दफा 5 का प्रा. पत्र एवं 96 सीपीसी के प्रा.पत्र सहित तथा स्टेट ने अपील सं. 124/2010 दफा 5 के प्रा.पत्र सहित पेश की।
4. उक्त दोनों अपीले एक ही जमीन से सम्बन्धित होने से दोनों अपीलों का फैसला एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक—पृथक रखी जावे।
5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त के सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तांतरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय से रेस्पों. के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। देरी को माफ करने के सम्बन्ध में दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये गये है। अतः देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनंक 27.07.2010 निरस्त फरमाया जावे।
7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 117/2010 ने अपनी बहस में कथन किया कि शंकर सिंह को कस्टोडियन भूमि आवंटित हुई। अपीलांट शंकर सिंह का वारिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं जिसने भूमि हस्तांतरण नहीं की। अधी. न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित कर रेस्पों. के पक्ष में खातेदारी दे दी। इकरारनामा में पूर्ण भुगतान नहीं है शेष राशि बैयनामा के समय दिया जाना था। हस्तांतरण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं है। अधि. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरूद्ध है। अपीलांट ने अपनी बहस में दफा 5 का प्रा. पत्र एवं 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार कर, अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पों. श्री बलविन्द्र सिंह ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 05.06.81 से क्रय की थी। उक्त भूमि कस्टोडियन भूमि है जिसकी राज्य परिपत्र दिनांक 6.10.2009 के अनुसार खातेदारी दी जा सकती है और उसी अनुसार खातेदारी दी गई है। नियमन राशि भी जमा करवायी जा चुकी है। पटवारी की रिपोर्ट , सिंचाई की पर्ची के अनुसार कब्जा साबित है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में आपत्तिया आमंत्रित करने हेतु दिनांक 29.06.2010 को अखबार में प्रकाशित किया गया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। कोई राशि बकाया नहीं है। भूमि शंकर सिंह के नाम थी जो मूल आवंटी थी। रेस्पों. ने शंकर सिंह के पुत्र अर्जनसिंह व करतार सिंह से उनके हिस्से तक भूमि खरीदी है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।
9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. अपील सं. 124/2010 जो स्टेट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं अपील सं. 117/2010 अपील में देरी बाबत दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा मय प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। अतः न्यायहित में दोनों अपीलों में प्रस्तुत दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।
11. अपील सं. 117/2010 में अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा मय प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। अपीलांट उक्त आदेश से व्यथीत एवं हितबद्ध पक्षकार होने से न्यायहित में अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।
12. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल आवंटी शंकरसिह फौत हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस समय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उस सयम मूल आवंटी के इकरारनामाकर्तागण के अलावा अन्य वारिस पुत्र–पुत्रियां अथवा उनके वारिस मौजूद थे। जिनकी सहमति आवश्यक थी। वर्तमान अपील में भी मूल आवंटी के अपीलाण्ट बल्देवसिंह एवं अन्य वारिसान होना बताया है। जो इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है वह मूल आवंटी के सभी वारिसान की और से निष्पादित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित करने से पूर्व मूल आवंटी के सभी वारिसान को सुना नहीं गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मूल आवंटी के वारिसान का प्रमाण पत्र/सूचना एव मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना अंकित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त जांच नहीं कीं। कब्जे होने के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट आधार नहीं है। राज्य सरकार की और से जो अपील सरकार बनाम मानामउलहक प्रस्तुत की गई है उसमें भी उसमें भी अपीलाधीन आदेश में अन्य त्रूटियां अंकित की गई है जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन मूल आदेश में मूल अलाटी बचनसिंह अंकित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने संशोधित आदेश दिनांक 29.07.2010

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा संशोधित कर दिया गया है। हालांकि संशोधित आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं हुई है लेकिन यह आदेश मूल आदेश दिनांक 27.07.2010 की निरन्तरता में ही जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को एवं सभी हितबद्ध/आवश्यक पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

13. उक्त विवेचन के आधार पर अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2010 एवं 29.07.2010 अपास्त कर दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को एवं सभी हितबद्ध/आवश्यक पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित असर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की अलग अलग प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

14. निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

08/8/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official